



जनपद गाजियाबाद प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 22-12 -20

थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया जिनके कब्जे से कुल 235 अलप्राजोलम की अवैध नशीली गोलियाँ बरामद -

कार्यवाही:- जनपद गाजियाबाद में अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद श्री कलानिधि नैथानी के निर्देशन एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर महोदय श्री अभिषेक वर्मा के निकट पर्यवेक्षण तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम श्री अभय कुमार मिश्र महोदय के कुशल नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली श्री संदीप कुमार सिंह की टीम द्वारा दिनांक: 21/12/2020 को रेलवे टिकट घर के पीछे पीपल के पेड़ के सामने चौकी क्षेत्र मॉडल टाउन थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद से दौराने चैकिंग पुलिस टीम द्वारा 01 नफर अभियुक्त राजू पुत्र बाबूराम को गिरफ्तार किया गया कब्जे से कुल 235 अलप्राजोलम की अवैध नशीली गोलियाँ बरामद हुयी । जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद पर मु0अ0सं0 828/2020 धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत है ।

अपराध कारित करने का तरीका/पूछताछ का विवरण:-

अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि मैं रेलवे स्टेशन के आस पास नशे के आदी व्यक्तियों को अलप्राजोलम की गोलियाँ बेचकर अपने तथा अपने परिवार का भरण पोषण करता हूँ

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण:-

1. राजू पुत्र बाबूराम निवासी म0नं0 117 सराँयनजर अली थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद उम्र करीब 35 वर्ष

आपराधिक इतिहास अभियुक्त राजू:-

1. मु0अ0सं0 915/2015 धारा 60/72 आबकारी अधि0 थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद ।
2. मु0अ0सं0 1033/2015 धारा 60/72 आबकारी अधि0 थाना विजयनगर गाजियाबाद ।
3. मु0अ0सं0 002/2016 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना विजयनगर गाजियाबाद ।
4. मु0अ0सं0 428/2016 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद ।
5. मु0अ0सं0 1524/2016 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना विजयनगर गाजियाबाद ।
6. मु0अ0सं0 1273/2017 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना विजयनगर गाजियाबाद ।
7. मु0अ0सं0 324/2018 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद ।
8. मु0अ0सं0 1115/2018 धारा 60/63/72 आबकारी अधि0 थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद ।
9. मु0अ0सं0 1116/2018 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद ।
10. मु0अ0सं0 420/2020 धारा 304बी/498 ए भादवि0 थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद ।
11. मु0अ0सं0 828/2020 धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद ।

बरामदगी का विवरण:-

- 1- अभियुक्त राजू उपरोक्त के कब्जे से 235 अलप्राजोलम की अवैध नशीली गोलियाँ बरामद



साईबर काइम सैल गाजियाबाद व कोतवाली नगर पुलिस द्वारा फर्जी आधार कार्ड सेंटर का खुलासा , फर्जी आधार एवं आधार कार्ड बनाने वाले उपकरण सहित 02 अभियुक्त गिरफ्तार ।

अनावरण:- ऑपरेशन 420 के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार पुलिस अधीक्षक नगर के नेतृत्व में साईबर काइम सैल गाजियाबाद थाना कोतवाली नगर पर मु0अ0सं0- 819/2020 धारा-420, 467, 468, 471, 120बी, 34 भादवि तथा थाना लिकरोड पर मु0अ0सं0-393/20 धारा- 406, 420, 120बी एवं 34 भादवि पंजीकृत मुकदमों से संबंधित फर्जी आधार कार्ड, वोटर कार्ड एवं अन्य दस्तावेज उपलब्ध कराने वाले 02 शातिर अभियुक्तगणों 1. फैशल खान पुत्र महताब राज खान नि0-सी-173, गली नं0-3 पप्पू कॉलोनी नियर डी0एल0एफ0, साहिबाबाद गाजियाबाद। 2. शाहबाज खान पुत्र महताब खान नि0-सी-173, गली नं0-3 पप्पू कॉलोनी नियर डी0एल0एफ0, साहिबाबाद गाजियाबाद को मुखबिर की सूचना पर दिनांक 21.12.2020 को समय 22.30 स्टेशन रोड होली ट्रैन्टरी स्कूल के पास से फर्जी आधार कार्डों के साथ गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्तगणों की निशानदेही पर शालीमार गार्डन एक्सटेंशन-1 थाना क्षेत्र साहिबाबाद से आधार कार्ड बनाने के उपकरण एवं दस्तावेज व अन्य सामान बरामद किये गये हैं।

अपराध करने का तरीका :- गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ करने पर बताया कि हम लोग एक बैंक में आधार कार्ड बनाने वाले अपने एक साथी के साथ मिलकर लोगो के फर्जी आधार कार्ड, वोटर कार्ड बनाकर, उन पर नाम व पता तथा मोबाइल नम्बर बिना दस्तावेज लिये बदल देते हैं, जिनका उपयोग कर हमारे साथी बैंक अकाउन्ट खुलवाकर लोगो के साथ धोखाधडी करके, उन्हीं खातो में रूपये डलवा लेते हैं। जिसमें से हमें भी हिस्सा मिलता है।

गिरफ्तार अभियुक्त :-

1. फैशल खान पुत्र महताब राज खान नि0-सी-173, गली नं0-3 पप्पू कॉलोनी नियर डी0एल0एफ0, साहिबाबाद गाजियाबाद।

2. शाहबाज खान पुत्र महताब खान नि0-सी-173, गली नं0-3 पप्पू कॉलोनी नियर डी0एल0एफ0,

साहिबाबाद गाजियाबाद।

बरामदगी:-

1. हुण्डई कार आई-20 नं0- DL5CR 2688
2. 02 अदद मोबाईल,
3. 05 बने अदद आधार कार्ड,
4. 01 डबल आई स्कैनर
5. 02 अदद लैपटॉप
6. 01 थम्ब स्कैनर
7. 454 अदद खाली आधार कार्ड
8. सिंगल आई स्कैनर
9. 03 अदद प्रिन्टर
10. 02 अदद मुहर
11. 20 अदद खाली मतदाता पहचान पत्र
12. 06 अदद आधार कार्ड अपडेट फार्म
13. 07 अदद आधार कार्ड रशीद
14. 03 अदद आधार कार्ड की छायाप्रति



थाना कविनगर पुलिस द्वारा राजनगर मे BMW कार मे सवार होकर फायरिंग करने वाले अभियुक्तो को पुलिस कस्टडी रिमान्ड पर लिया गया जिनकी निशादेही पर घटना मे प्रयुक्त पिस्टल, तमंचा, कारतूस बरामद किए

दिनांक 18.11.20 को सै0 09 राजनगर मे BMW कार नं0 UP14BQ 0002 सवार कुछ व्यक्तियो द्वारा जनता के लोगो पर जान लेवा फायरिंग की गयी थी जिसका वीडियो भी वायरल हुआ था, इससे लोगो मे भय का माहौल व्याप्त हुआ था। इन अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद गाजियाबाद द्वारा चलाये जा रहे आपरेशन निहत्था के तहत श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर, श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय व प्रभारी निरीक्षक कविनगर के कुशल निर्देशन में गठित टीम द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध ताबडतोड दबिशे दी गयी जिसके चलते अभियुक्त गण माननीय न्यायालय मे हाजिर हो गये थे। आज दिनांक 22.12.20 को अभियुक्त गण (1) आशू उर्फ आशूतोष पुत्र निरंकार शर्मा निवासी ग्राम भोवापुर थाना मसूरी जनपद गाजियाबाद व (2) अंकित उर्फ आदित्य पुत्र अमन शर्मा निवासी पीपल वाली गली प्लाट नं0 73 शिव मंदिर के पास सै0 23

संजयनगर थाना मधुबन बापूधाम गाजियाबाद को पुलिस कस्टडी रिमान्ड पर लिया गया जिनकी निशादेही पर घटना मे प्रयुक्त एक पिस्टल व तमंचा 315 बोर व भारी मात्रा मे कारतूस बरामद किये गये ।

अपराध कारित करने का तरीका:-अभियुक्त द्वारा अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर दिनांक 18.11.20 को सैक्टर 09 राजनगर गाजियाबाद मे राह चलते लोगो के ऊपर अस्लाहो से जानलेवा फायरिंग की गयी थी तथा अवंतिका मे भी एक दुकानदार को पिस्टल व तमंचा दिखाकर धमकाया गया था । इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया मे प्रमुखता से वायरल हुआ था । अभियुक्त व उसके साथियों द्वारा रोब दिखाने के लिए और गुन्डागर्दी करने के उद्देश्य से BMW कार मे घूम कर लोगो पर जान लेवा फायरिंग की गयी थी ।

एक अभियुक्त अमित चौधरी दिनांक 20.11.20 को जनपद बागपत मे गिरफ्तार किया जा चुका है तथा अभियुक्त करनवीर को दिनांक 26.11.20 को गिरफ्तार कर जेल भेजे जा चुके है एवं घटना मे प्रयुक्त BMW कार नं0 UP14BQ 0002 बरामद की जा चुकी है ।

नाम पता अभियुक्त गण –

(1) आशू उर्फ आशूतोष पुत्र निरंकार शर्मा निवासी ग्राम भोवापुर थाना मसूरी जनपद गाजियाबाद उम्र 23 वर्ष शिक्षा 12वी पास ।

(2) अंकित उर्फ आदित्य पुत्र अमन शर्मा निवासी पीपल वाली गली प्लाट नं0 73 शिव मंदिर के पास सै0 23 संजयनगर थाना मधुबन बापूधाम गाजियाबाद

बरामदगी का विवरण-

1. एक पिस्टल .32 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस
2. एक तमंचा 315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस

आपराधिक इतिहास आशू उर्फ आशूतोष-

- 1- मु0अ0सं0 1613/20 धारा 279/307 भादवि 7 सीएल ए एक्ट थाना कविनगर गाजियाबाद ।
- 2- मु0अ0सं0 1639/20 धारा 506 भादवि थाना कविनगर गाजियाबाद ।
- 3- मु0अ0सं0 1765/20 धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना कविनगर गाजियाबाद ।

पंजीकृत अभियोग का विवरण:-

- 1- मु0अ0सं0 1613/20 धारा 279/307 भादवि 7 सीएल ए एक्ट थाना कविनगर गाजियाबाद ।
- 2- मु0अ0सं0 1639/20 धारा 506 भादवि थाना कविनगर गाजियाबाद ।
- 3- मु0अ0सं0 1766/20 धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना कविनगर गाजियाबाद ।



थाना कौशाम्बी पुलिस द्वारा हर्ष फायरिंग करने वाला एक नफर अभियुक्त गिरफ्तार ।

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद द्वारा अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान में पुलिस अधीक्षक महोदय नगर व क्षेत्राधिकारी नगर तृतीया महोदय के कुशल निर्देशन में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री महेन्द्र सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना कौशाम्बी पुलिस द्वारा आज दिनांक 22.12.2020 को 01 नफर अभियुक्त गौरव भारद्वाज s/o भूव प्रकाश शर्मा R/O म0न0 92 नसिरपुर पर नेहरु नगर थाना सिहानीगेट गा0बाद सम्बन्धित मु0अ0सं0 623-624/20 धारा 336 भादवि 3/30

आर्मस एक्ट थाना कौशाम्बी गाजियाबाद को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त गौरव भारद्वाज उपरोक्त को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है।

अपराध कारित करने का तरीका-

पिस्टल न0 Pistol 0.32'' mk- II 20911-9700 RFI in 2020, 209119700 से हर्ष फायरिंग करना।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त गण –

गौरव भारद्वाज S/O भूव प्रकास शर्मा R/O म0न0 92 नसिरपुर पर नेहरु नगर थाना सिहानीगेट गा0बाद।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास का विवरण -

मु0अ0सं0 623/20 धारा 336 भादवि व मु0अ0सं0 624/2020 धारा 3/30 आर्मस एक्ट थाना कौशाम्बी गाजियाबाद व अन्य अपराधिक इतिहास के संबंध में जानकारी की जा रही है।



(अ0स0—1947 / 2020

धारा

406 / 418 / 420 / 467 / 468 / 471 / 120बी / 21

6 भादवि में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार)

कार्यवाही:— श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के कुशल निर्देशन में पुलिस अधीक्षक नगर के नेतृत्व में व क्षेत्राधिकारी नगर तृतीय के प्रवेक्षण में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान थाना इन्दिरापुरम पुलिस को उस समय महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई जब थाना इन्दिरापुरम पुलिस मुखबिर की सूचना पर दिनांक 22.12.2020 को शुक्र चौक अभयखंड थाना इन्दिरापुरम गाजियाबाद से अभियुक्त राजेश कुमार पुत्र श्री महेश भारन राय निवासी 226, पी-14 लरीशा पब्लिक स्कूल वार्ड न0-2 थाना महरोली दिल्ली को गिर0 किया गया।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

1- राजेश कुमार पुत्र श्री महेश भारन राय निवासी 226, पी-14 लरीशा पब्लिक स्कूल वार्ड न0-2 थाना महरोली दिल्ली

अपराध करने का तरीका.....अभियुक्त द्वारा अपने भाई भौलेस कुमार व अन्य साथियों द्वारा एक साजिश करके कम्पनी को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से कम्पनी के 99 से अधिक छात्रों से 2932917/- रुपये लेकर अपने निजी खाते में जमा कराना व छात्रों को फर्जी कूटरचित फर्जी रशोदे देकर धोखाधड़ी करना।

अभियुक्त का अपराधिक इतिहास-

क0स0	मु0अ0स0	धारा	थाना	जनपद
1	1947 / 2020	406 / 418 / 420 / 467 / 468 / 471 / 120बी / 216 भादवि	इंदिरापुरम	गा0बाद



थाना लोनी बोर्डर पुलिस द्वारा अन्तर्राज्यीय शराब बिक्री करने वाले दो व्यक्तियों को मय 400 पच्चे देशी शराब हरियाणा मार्का के गिरफ्तार किया गया।

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद श्री कलानिधि नैथानी के कुशल निर्देशन एवं पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय व श्रीमान क्षेत्राधिकारी लोनी महोदय जनपद गाजियाबाद के कुशल पर्यवेक्षण में अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान थाना लोनी बोर्डर पुलिस द्वारा दिनांक 22.12.20 को समय करीब 14.10 बजे अन्डर पास पर चैकिंग के दौरान सैन्ट्रो कार न0 HR 51 AA 5546 सवार दो व्यक्ति 1.रूपक सिंह पुत्र केसराम नि0 ग्राम टीला शहबाजपुर थाना लोनी बोर्डर गा0बाद 2.अनुज पुत्र मदन नि0

मौ० दिलिप विहार गली न० ४ म०न० २०/५० बडौत थाना बडौत बागपत को मय दो कट्टो में ४०० पच्चे देशी शराब हरियाणा मार्का के गिरफ्तार किया गया ।

कड़ाई से पूछताछ करने पर अभियुक्त द्वारा बताया गया कि हम लोग हरियाणा से इसी सैन्ट्रो कार से सस्ते दामों में देशी शराब खरीदकर यहाँ आकर चलते-फिरते लोगों को बेच देता हूँ ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण -

- १.रूपक सिंह पुत्र केसराम नि० ग्राम टीला शहबाजपुर थाना लोनी बोर्डर गा०बाद
- २.अनुज पुत्र मदन नि० मौ०दिलिप विहार गली न० ४ म०न० २०/५० बडौत थाना बडौत बागपत

अभियुक्त रूपक का आपराधिक इतिहास:-

- १.मु०अ०स० ३१४/२० धारा ३२३/४२७/५०४/५०६ भादवि थाना लोनी बोर्डर
- २.मु०अ०स० ३२१/२० धारा ३२३/३२६/३४/४५२/५०४/५०६ भादवि थाना लोनी बोर्डर
- ३.मु०अ०स० १०५३/२० धारा ६०/६३/७२ आबकारी अधि० थाना लोनी बोर्डर गा०बाद

अभियुक्त अनुज का आपराधिक इतिहास:-

मु०अ०स० १०५३/२० धारा ६०/६३/७२ आबकारी अधि० थाना लोनी बोर्डर गा०बाद

अभियुक्त से बरामदगी का विवरण-

४०० पच्चे देशी शराब हरियाणा मार्का

